81

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 1209–तीन/2009 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 29–6–2009– पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्र0क्र0 753/2006–07 अपील

रामायणप्रसाद तनय रामगरीव पाण्डेय
ग्राम गोरा तहसील अमरपाटन
जिला सतना, मध्य प्रदेश --- आवेदक

विरूद्ध

1– गंगा सिंह पटवारी हलका गोरा
तहसील अमरपाटन
2– रामगोपाल 3– रामजी 4– कृष्ण जी
5– शिवजी 6– लालजी पुत्रगण स्व.वालाप्रसाद
7– श्रीमती पत्नि स्व. रामश्रय प्रसाद
8– रामराज 9– जयप्रकाश 10– आनन्द
सभी पुत्रगण स्व. रामाश्रय प्रसाद
ग्राम गोरा तहसील अमरपाटन
जिला सतना, मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 17–7 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 753/06–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–6–2009 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार अमरपाटन को आवेदन देकर बताया कि गाम गोरा की आराजी नंबर 1412 पर पटवारी ने वर्ष 1993-94 में वालाप्रसाद का कब्जा दर्ज कर दिया एंव कब्जा दर्ज का हवाला प्रकरण क्रमांक 24 अ 6 अ/93-94 में पारित आदेश दिनांक 27-4-1994 उल्लेखित किया है। तहसीलदार अमरपाटन ने प्रकरण क्रमांक 493 बी-121/1995-96 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 22-2-2006 पारित किया आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अपरपाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण क्रमांक 110/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-3-2007 से अपील निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के आदेश दिनांक 30-3-2007 के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 753/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-6-2009 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार करने तथा आवेदक के अभिभाषक के तर्को के क्रम में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि तहसीलदार अमरपाटन ने प्रकरण क्रमांक 493 बी-121/ 1995-96 में पारित आदेश दिनांक 22-2-2006 में इस प्रकार विवेचना कर निष्कर्ष अंकित किया है :-

> आवेदन में प्रस्तुत आ.नं. 1412 में वर्ष 93-94 तथा 94-95 में खसरा सुधार करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। केवल एक वर्ष के लिये खसरा सुधार करने का अधिकार इस न्यायालय को है। 1993-94, 94-95 का खसरा सुधार अधिकार क्षेत्र के वाहर होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।

तहसीलदार अमरपाटन के आदेश दिनांक 22-2-2006 में लिये गये उपरोक्तानुसार निर्णय के क्रम में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा

116 का अवलोकन किया गया। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 116 में अभिलेख सुधार हेतु निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है :-

धारा 116 - खसरा या किन्हीं अन्य भू अभिलेखों में की प्रविष्टि के बारे में विवाद - (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू अभिलेखों में की किसी ऐसी प्रविष्टि से व्यथित हो जो धारा 108 में निर्दिष्ट की गई बातों से भिन्न बातों के संबंध में की गई हो, तो वह ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुद्धिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन करेगा।

विचाराधीन प्रकरण में आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष वर्ष 1993-94 से चली आई प्रविष्टि के सुधारने के लिये एक वर्ष के भीतर आवेदन नहीं दिया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने पारित आदेश दिनांक 30-3-2007 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने पारित आदेश दिनांक 20-6-2009 में तहसीलदार के आदेश दिनांक 22-2-2006 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 753/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-6-2009 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर